



2016/17  
 बकुलाय पक्षकारान सपरिथत / पीठासीन  
 अधिकारी .....  
 होने से प्रकरण दिनांक 6/8/23  
 को पेश हों।

साक्षात् से  
  
 शिडर

8.8.2B

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते वादग्रस्त करने का वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बहल की गई। उभयपक्ष बहल जुनी हुई। प्रतिवादी कंब्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर विस्तृत अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय विलेख की प्रति का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय प्रतिवादी कंब्या 1 व अन्य शीतनी कबु बेवा महेन्द्रकिहं के को विक्रय कर दिया जाने के बावजूद आराजीयात में वादी का वादकारण नहीं रहता है। अतः वादी का वाद कारण नहीं रहे से प्रतिवादी 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इस्तीफार पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरिइजलास जुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

  
 प्रतिभा वर्मा  
 IAS  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गिवा-उदयपुर